

पत्र संख्या-1/आई०एम०एल०-04/2008, श्र०सं०....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- राज्य योजना, अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम चौमाही (दिनांक-01.04.2026 से 31.07.2026 तक) के लिए कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य श्रेणी के लिए ₹3,88,74,000=00 (रूपये तीन करोड़ अठासी लाख चौहत्तर हजार) एवं अनुसूचित जाति के लिए ₹74,25,000=00 (रूपये चौहत्तर लाख पच्चीस हजार) अर्थात् कुल ₹4,62,99,000=00 (रूपये चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गत वर्षों की भाँति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम चौमाही (दिनांक-01.04.2026 से 31.07.2026 तक) के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य श्रेणी के लिए ₹3,88,74,000=00 (रूपये तीन करोड़ अठासी लाख चौहत्तर हजार) एवं अनुसूचित जाति के लिए ₹74,25,000=00 (रूपये चौहत्तर लाख पच्चीस हजार) अर्थात् कुल ₹4,62,99,000=00 (रूपये चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है:-

2 (i) उक्त स्वीकृत राशि सामान्य श्रेणी के मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों के लिए-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-114- उत्प्रवासी श्रम कल्याण-उप शीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में राशि का उपबंध है:-

विषय शीर्ष	
0102-16-01-प्रकाशन एवं मुद्रण	99,000
योग-26-2230.01.114.0102.16-प्रकाशन और मुद्रण	99,000
0102-20-03-प्रशिक्षण व्यय	330
योग-26-2230.01.114.0102.20-अन्य प्रशासनिक व्यय	330
0102-21-01-सामग्री एवं पूर्तियाँ	16,500
योग-26-2230.01.114.0102.21-सामग्री एवं पूर्तियाँ	16,500
0102-26-01-विज्ञापन और प्रकाशन	2,31,000
योग-26-2230.01.114.0102.26-विज्ञापन और प्रकाशन	2,31,000
0102-31-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	3,85,11,000
योग-26-2230.01.114.0102.31-सहायक अनुदान	3,85,11,000
0102-37-01-अनुग्रह अनुदान	16,170
योग-26-2230.01.114.0102.37-अनुग्रह अनुदान	16,170
योग-26-2230.01.114.0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	3,88,74,000
योग-लघु शीर्ष-26-2230.01.114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण	3,88,74,000

(ii) अनुसूचित जाति के मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों के लिए-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप-शीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230017890103) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में राशि का उपबंध है:-

विषय शीर्ष	
0103-31-06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	74,25,000
योग-26-2230.01.789.0103.31-सहायक अनुदान	74,25,000
योग-26-2230.01.789.0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को पुनर्वापसी पर व्यय	74,25,000

अर्थात् (i)+(ii) के तहत कुल राशि ₹4,62,99,000=00 (रूपये चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम चौमाही (दिनांक-01.04.2026 से 31.07.2026 तक) के लिए कुल उपबंधित राशि ₹4,62,99,000=00 (रूपये चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र का व्यय निम्न प्रकार होगा:-

(क) प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना मृत्यु पर व्यय ₹4,00,000=00 X 105	= 4,20,00,000=00
(ख) प्रवासी मजदूरों के अपंगता पर व्यय (क) आंशिक अपंगता ₹50,000=00 X 10	= 5,00,000=00
(ख) पूर्ण अपंगता ₹1,00,000=00 X 10	= 10,00,000=00
(ग) प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुँचाने पर व्यय 105 प्रवासी मजदूर X ₹1000	= 1,05,000=00
(घ) मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुँचाने पर व्यय	= 23,31,000=00
(ङ) पुनर्वापसी के पश्चात् भोजन, नास्ता, वस्त्र, दवा आदि पर अनुसूचित व्यय	
-3 प्रवासी मजदूर X ₹500	= 1500=00
(च) घर पहुँचाने पर 30 दिन का राशन पर-10 प्रवासी मजदूर X ₹1500	= 15,000=00
(छ) योजना के प्रचार-प्रसार हेतु पुस्तक आदि की छपाई पर व्यय	= 99,000=00
(ज) योजना के प्रचार-प्रसार का प्रपत्र आदि की छपाई पर व्यय	= 2,31,000=00
(झ) प्रशिक्षण व्यय	= 330=00
(ञ) अनुग्रह अनुदान	= 16,170=00

₹4,62,99,000=00

(चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र

4. यह चालू योजना है।
5. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०सं०-176/टि० पर प्राप्त है।
6. इस योजना के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त एवं सभी श्रम अधीक्षक होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे।
7. इस राशि की निकासी बिहार भवन, कोषागार, नई दिल्ली/विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/संबंधित जिला के जिला कोषागार से होगी।
8. प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन पृ०सं०-176/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/आई०एम०एल०-04/2008, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/आई०एम०एल०-04/2008, श्र०सं०.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/आई०एम०एल०-04/2008, श्र०सं०..... 2299

पटना, दिनांक- 22-04-2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/श्रमायुक्त, बिहार बजट शाखा (श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-02, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।